

Request - 83

स्मृति-पत्र

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार,
जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

सेवा में

महानिबृन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक— १५ / XV

झांसी।

दिनांक— जनवरी १२, 2018

सन्दर्भ— जनपद न्यायालय, झांसी का पत्रांक—३३०५ / पन्द्रह दिनांक 12.12.2016

विषय— श्रीमती मनोषा एवं श्री नरेन्द्र पाल राणा दोनों पति—पत्नी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा पृथक—पृथक रूप से आवेदित पेट्रोल व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से यह दिशा-निर्देश / मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया था कि एक ही जनपद में कार्यरत पति—पत्नी न्यायिक अधिकारीगण को, माननीय शोटटी आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार, पृथक—पृथक रूप से 50 लीटर पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं।

इसी क्रम में निवेदन करना है कि वर्तमान में इस न्यायिक अधिष्ठान में श्रीमती मनोषा एवं श्री नरेन्द्र पाल राणा दोनों पति—पत्नी, न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत है, जिनको उक्त प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से उक्त विषयांकित प्रकरण में दिशा-निर्देश / मार्गदर्शन प्राप्त होना आवश्यक है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम आवश्यक दिशा-निर्देश / मार्गदर्शन प्राप्त कराने का कष्ट करें, जिससे कि विषयांकित प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

सम्मान सहित !

भवदीय,

Regd(B)

W.D.'s

①
SN

10 Jan 2018

DRUG

Regd(B)
29/1/18

Uppendrakumar
12-1-18
(उपेन्द्र कुमार)
जनपद न्यायाधीश,
झांसी।
जिला जज
झांसी (३०प्र०)

19/01/06
10/01/06

07/01/2006, 12:10

0522-2239266

SEOU APPT & KARMIK

PAGE 01

संख्या-6058/टो-4-०९-४५१२।/९। टी.सी.

प्रधान,

वीपक विश्वेशी,

सन्तान,

उत्तर प्रदेश शासन।

लिखा मे,

मुख्यमंत्री;

मुख्य न्यायालय,

उत्तराखण्ड।

प्रधान अनुभाग-५

लिखानक: दिनांक: 27 जनवरी, 2006

विषय: - प्रधान राष्ट्रीय व्यायामिक वेतन आयोग (शेषटी आयोग) द्वारा की गयी संस्कृति एवं उस कान्त में भाग स्वरूप व्यायामिक द्वारा रिट आयिका राष्ट्रीय-1022/1989 अल इण्डिया जारी एसोसिएशन एवं अपने आयोग संस्कृति द्वारा की गयी संस्कृति द्वारा रिट आयिका संस्कृति-1022/1989 अल इण्डिया जारी एसोसिएशन एवं अन्य बजान चूकिण्डा भाग इण्डिया एवं अन्य ने दिनांक-21 भार्ता, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 को पारित आयोगों के संदर्भ में उपर राज्य न्यायिक शेषा / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को अत्ते / सुविधाएं प्रदान किया जाना।

मठोदय,

मुझे यह कानूनों का निर्देश छुका है कि उत्तर प्रदेश राज्य व्यायामिक सेवा / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय व्यायामिक वेतन आयोग (शेषटी आयोग) द्वारा की गयी संस्कृति विधा उस कान्त में भाग उच्च व्यायामिक द्वारा रिट आयिका संस्कृति-1022/1989 अल इण्डिया जारी एसोसिएशन एवं अन्य बजान चूकिण्डा भाग इण्डिया एवं अन्य ने दिनांक-21 भार्ता, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 को पारित आयोगों के संदर्भ में अनुमति दिया है अनुमति अनुमति दिया है जो की एवीष्टि राज्यपाल मठोदय द्वारा सहज प्रदान की गयी है:-

1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भवता

- (1) प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद व्यायामिक, विभिन्न अंतिरिक्ष जिला जज तथा सुरक्षा व्यायामिक/संचालनारीय अग्रस्त्रेट, को एक स्थितन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) उपरोक्त के अंतिरिक्ष पूँछ कार वा सुविधा के अनुमति ५ व्यायामिक अंतिरिक्षों का भवता १ पूँछ कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिए संचालनारीय शहरों में 150 लीटर एवं भवता स्थानों पर 125 लीटर ऐड्रोल न्यायिक की सीमा तक अनुमति दोगा।
- (3) जिन व्यायामिक अधिकारियों को वाहन अपना निजी वाहन है, उन्हें जिलानुसार ऐड्रोल/डीजल देय दोगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक वा आधार पर की जायेगी।

राष्ट्र/संघर्ष की श्रेणी	अनुमति ऐड्रोल/डीजल की अधिकारिया भावा (लीटर में)
ए भौति ए-१ श्रेणी के वाहन।	75
जिला सुरक्षात्मक	50

..2-

NSC

Sect. APPA S. & APPA II

-2-

बोट- जिन क्यारिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा उन्हें उपरोक्तामुसार पेट्रोल/डीजल वा मूल्य प्राप्त करने का विकल्प नहीं है, उन्हें मूल बद्र की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी। मूल बद्रों की आवश्यकता का आवेदन दाखिल ही किया जायगा।

(4) जिन क्यारिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमात्र 25 लीटर पेट्रोल देय किया, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय-प्रभावक के आधार पर की जाएगी।

2. **अतिथि सत्रावाहन**
क्यारिक अधिकारियों को भिन्न दर से अतिथि सत्रावाहन मुक्त्य की जाएगी।

क्र०	सं०	क्यारिक अधिकारी की श्रेणी	मात्रिक भत्ता (रुपये मे)
1.		जिला जन/अपर जिला जज	1000
2.		सिविल जज(सोनियर डिवीजन)	750
3.		सिविल जज(जूनियर डिवीजन)	500

3. **पोशाक भत्ता**
प्रत्येक क्यारिक अधिकारी को 5 वर्ष की अपयित्री ने एक बार रु0-5000 की एक मुश्त राधि पोशाक भत्ता के रूप में देय कियी। इस प्रदोषकार्य प्रथम चार वर्ष की अपयित्री 21 जारी, 2002 से राज्य की जाएगी।

4. **समाचार पत्र/पत्रिका**
प्रत्येक क्यारिक अधिकारी को एक राज्यीय साधा एवं क्रोतीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रु० प्रतिमात्र से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, जिस पर किये गये व्यय वही प्रतिपूर्ति मूल बाजार के आधार पर की जाएगी।

5. **द्रव्यमाला सुविधा**
प्रत्येक क्यारिक अधिकारी के आधार पर्यायी भौतिकीय व्यापार पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कांगड़ा जैसे सभी टेलीफोन एस.टी.डी. यूप्टा होंगे, परन्तु आधार पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा वे बल उच्चतर क्यारिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य क्यारिक नियन्त्रीय नियन्त्रित की जाएगी।

-3-

0522-2239288

SECY APPT & KARMIK

Date
Page

-3-

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न शीर्षाओं के अनुसार
निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमत्य होगी:-

क्रमांक	अधिकारी की शैणी	2 माह के लिए निःशुल्क काल की सीमा	कार्यालय आवास
1	सिला जन/सत्र न्यायाधीश	3000	2000
2	अतिरिक्त जिला जन/	2000	1000
3	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश		
4	सिविल जन/(सीनियर डिपीजन)	2000	1000
	एवं चीफ बूझिशियल/भागिनीय		
	मनिस्ट्रेट		
4	सिविल जन. (जूनियर डिपीजन)	1500	750
	मनिस्ट्रेट		

6. आवास पर विद्युत एवं जल खुल्क भी प्रतिपूर्ति
न्यायिक अधिकारियों के आवास पर उनके द्वारा विद्युत एवं जल के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृ गंये भुगतान के 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु अधिकारी राठ-काठ प्रदूषक की दबावता सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी। यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने विलो वा भूलास्प में प्रस्तुत करने पर देय होगी।

7. आवास/भकान कियाया भत्ता
समस्त न्यायिक अधिकारी अपनी पात्रता के आधार पर निःशुल्क सरबाही आवास, आवाटित भूमिकों के हकदार होंगे। सरकार द्वारा आवास उपलब्ध करायांग भागों की स्थिति में शास्त्र के संबंध जादेशों के अनुसार सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को भकान कियाया भत्ता देय होगा।

8. अतिरिक्त प्रभार भत्ता
न्यायिक अधिकारियों को विस्ती इस्ते न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए किया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी हस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का नियादन करते हैं तो वह अतिरिक्त प्रभार के पद के बोलनाम के अनुमत्य के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमत्य होगा।

9. अवकाश अवधीकरण
न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नगदीकरण लेने की सुविधा अनुमत्य होगी। ऐसी सुविधा लेने समय अवकाश लेने के लिए अधिकारी को बाध्य नहीं किया जायेगा। हस प्रयोजनार्थ प्रधान 02 वर्ष की अवधि 21 नवंबर, 2002 से प्रारम्भ माणी जायेगी।

10.

-4-

अवकाश यात्रा सुविधा

व्यापारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक प्रथम व्यापारियों करने के लिए 5 वर्ष की नियन्त्र सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व से हस्त सुविधा का उपलब्ध रहेगा किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में उपर्योग के लिए गुह-जनपद के लिए अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करनी होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिए प्रथम 04 वर्ष की अवधि 21 जारी, 2002 से प्रारम्भ जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा, देते रेल/चालुदार की श्रेणी से संबंधित पात्रों की अन्य शर्तों व्यापारियों द्वारा रखेगी,

11.

एक वर्ष का स्थानान्तरण अवधार

किमी 0 से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक भाँह के नुस्खे वेतन के प्रत्यावर दशा 20 किमी 0 से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें विचास्य स्थान वार्ताव में परिवर्तित हो, की एक भाँह के नुस्खे वेतन के एक तिथियों के बराबर प्रत्येक नुस्खे स्थानान्तरण अलुदार के रूप में अनुमत्य होगा।

12.

विकित्सा प्रतिपूर्ति/विकित्सा भत्ता

व्यापारियों द्वारा विकित्सा प्रतिपूर्ति को सरकारी अस्पतालों/ओषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा विकित्सा-उपचार देते व्यापारियों द्वारा विकित्सालयों/ओषधालयों द्वारा विकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तदभिरचय संगत नियन्त्रों/आदेशों के अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को राप्ते 100. प्रतिमात्र वर्ग विकित्सा भत्ता भी अनुमत्य होगा।

Permit
2. उपसुधत आदेश दिनांक 21 जारी, 2002 से प्रभारी भानों के लिए हल्के भत्तों/सुविधाओं का उपलब्ध करने के लिए विकित्सा-उपचार के अधिकारी की स्वीकृति, व्यय-प्रभाग के प्रत्युत करने विवादि जीसी विधारित ओषधारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो जायगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्वर्गत हल्के भत्तों/सुविधाओं के अनुर्ध्व विद्युत भुगतान कर समाचोरण किया जायेगा।

3. उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में घारी किये गये आदेश तदनुसार अंतिफिल्टर समझे जायेंगे,

0522-2239288

SECY APFT & KARMIK

PAGE : 05

- 5 -

- 4- अपर्युक्त आदेश विज्ञा विभाग को क्रमागतीय पर संख्या-जी-1-47/सा-06, दिनांक बानधारी 20,2006 में प्रति उल्लिख सम्मति से निरन्तर किये जा रहे हैं।

ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ

(दीपक निवेदी)

સુધી

प्रकाशकल संख्या-6058(1) / दो-4-05 तदृतिनामः ।

प्रतिलिपि यिन्हांनिधित दो संसारों में वर्तमान अवस्थाका कार्यकारी ढंग प्रेषिक।

1. मातृ राज्यपाल भडोदव्य के पक्षुज्य उपरिका/राज्यिय
प्रभुरुप समिति, विधान सभा/विधान परिषद, ३० प्र०,
 2. निदेशक, कोषागार निदेशालय, ३० प्र० लखनऊ।
 3. प्रभुरुप समिति, असाच विभाग, ३० प्र० शासन।
 4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 5. वित्त (वेतन-आयोग) अब्दुल्लाह-१/२ (तांब प्रतिच्छो जे)
 6. उत्तर प्रदेश समिक्षालय के समस्त अधिकारी।
 7. रामसुख निदेशक, शिक्षा खायालय, कोषागार निदेशालय,
 8. असीका बोरोगार अधिकारी, काशीरी रोड, हलाहायाद।
 9. इरलाल चेक अब्दुल्लाह/इरलाल चेक (वेतन-पर्ची) प्रक्रोल।
 10. महालीआकार (लैखा एवं दफ्तरी) । परा 2 वर्षा आडिट
1 एवं 2, ३० प्र० डलाहायाद।
 11. रमरता जापान अध्यायरीला, उत्तर प्रदेश।
 12. श्री प्रवीण स्वरूप, इडवोफेट-आज़-सिफार्ड, सुप्रीम कोर्ट नई
दिल्ली।
 13. ग्राम्फ काइल।

अराहत से,

3

(સાફ્ટલેન્ડ મોટર)

अंगु शास्त्रिव